पत्रॉक /आयु0क0उत्तरा0/धारा–57–अनुभाग/वाणि0कर/2012–13/देहरादून ।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57 अनुभाग)
देहरादूनः दिनांक 27 जून ,2013

प्रार्थना पत्र संख्या –16696/13–03–2013
सर्वश्री ईरावंशी बिल्डर्स एण्ड डेवलेपर्स,
पता–अशोक विहार, जी0एम0एस0 रोड,देहरादूनं।
उपस्थिति – श्री राजेश , अधिवक्ता फर्म
निर्णय का दिनांक – जून ,2013

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम,2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री ईरावंशी बिल्डर्स एण्ड डेवलेपर्स, अशोक विहार, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून द्वारा धारा–57 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिया गया है। उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उनके द्वारा देहरादून में आवासीय कॉम्पलैक्स का निर्माण कर विकसित किया जा रहा है। उनके द्वारा इस सम्बन्ध में कहा गया कि उनकी एक सांझीदारी फर्म है तथा इस फर्म के पार्टनर श्री जे0वी0एस0नेगी द्वारा अपनी भूमि को फर्म की सम्पत्ति (Properties)में बदल दिया गया है। इस भूमि में उनके द्वारा 60 flats के 05 टावर्स बनाये जाने है, जिसके लिए अनुमति एम0डी0डी0ए0 से ले ली गई है। यह आवासीय बिल्डिंग उनके द्वारा डिजाईन के आधार पर बनाई जाएगी तथा पूरा कार्य होने के उपरान्त जिन व्यक्तियों द्वारा उन्हें खरीदा जाना है, उनके नाम सेलडीड कर दी जाएगी। अतः उनके द्वारा यह कहा गया है कि उनके द्वारा क्रेताओं को जो वस्तु हस्तान्तरित की जायेगी, अचल सम्पत्ति के रुप में हस्तान्तरित की जाएगी। प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस सम्बन्ध में होने वाले करदायित्व स्पष्ट किए जाने हेतु दिया जा रहा है। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों की प्रति एवं क्रेताओं से होने वाले अनुबन्ध की प्रति भी संलग्न की गई है।

धारा–57 के प्रार्थना पत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून से आख्या मॉगी गई। उनके द्वारा अपनी आख्या निम्न प्रकार दी गई है :–

" व्यापारी द्वारा फ्लैट्स निर्माण कर बिक्री का कार्य किया जा रहा ह जो कि पूर्णतः सिविल संविदा कार्य है, जो फ्लैट्स निर्माणाधीन है, उनकी कीमत खरीदारों से वसूला जा रहा है। ऐसे में व्यापारी करदायित्व आकृषित होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी सर्वश्री के0रहेजा डेवलपमेन्ट कारर्पोरेश्न बनाम कर्नाटक राज्य में भी उक्त प्रकार के कार्य संविदा में करदायित्व होने के सम्बन्ध में मत प्रतिपादित किया है। वैट अधिनियम की धारा 2(11)(I) के अन्तर्गत व्यापारी " डीलर " की श्रेणी में आते हैं तथा करदायित्व का निर्धारण नियम–14 में उल्लिखित किया गया है। डीलर द्वारा कार्य संविदा में जिन वस्तुओं का अन्तरण किया गया है, उनके मूल्य पर कर का दायित्व व्यापारी का बनता है तथा तदनुसार ही करनिर्धारण किया

पत्रावली आवश्यक कार्यवाही करें धारा-57
26/5
28/6/13
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर,देहरादून सम्भाग, देहरादून